झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 30.01.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री पौलुस सुरीन स0वि0स0 श्री शशि भूषण सामाइ स0वि0स0 श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग में बिहार से आये हुए अभियंता जो भागलपुर जिला के मूल निवासी है और खरवार जाति (अनुसूचित जनजाति) का लाभ ले रहे है, जबकि बिहार राज्य में खरवार जाति पिछड़ा वर्ग-1 के क्रमांक-14 में आते हैं, परन्तु झारखण्ड में वे लोग अनुसूचित जनजाति का लाभ लेकर प्रोन्नति पा रहे है और झारखण्ड के मूल आदिवासी अभियंता प्रोन्नति से वंचित हो रहे है। अतः बिहार के भागलपुर जिला से खरवार जाति के अभियंताओं की जाति की सी0बी0आई0/निगरानी विभाग से जाँच कराने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
02-	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी स0वि0स0 डॉ0 जीतू चरण राम स0वि0स0 श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0	गढ़वा जिला अन्तर्गत मझिआंव प्रखण्ड के ग्राम करूई में 40 वर्ष पूर्व भीषण नरसंहार हुआ था। जिसमें 9 आश्रित परिवारों को सरकारी नौकरी दी गई थी। शेष 115 एस0सी0, एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0 के परिवार के लोग भयवश मेराल प्रखण्ड के संगबरीया पंचायत स्थित भिमखाड़ गाँव में वन भूमि पर कच्चा-	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		मकान बनाकर जीवन यापन कर रहें हैं। उन्हें सड़क, बिजली, शौचालय, वृद्धा, पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा राशन आदि सरकारी सुविधा तो मिलती है पर निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होने से कई सरकारी योजनाएँ जैसे-प्रधानमंत्री आवास, सरकारी नौकरी में अवसर नहीं मिल पाता है। अतः जिस वन भूमि पर वह आवासित है उसका पट्टा सरकार की ओर से निर्गत कर उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाय। लोकहित में अतिमहत्वपूर्ण विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है।	
03-	श्री प्रकाश राम स०वि०स० श्री भानू प्रताप शाही स०वि०स०	लातेहार जिलान्तर्गत टोरी-महुआमिलान नई बी०जी० रेलवे लाई निर्माण हेतु जिला में पदस्थापित राजस्व अधिकारियों एवं भू-माफियाओं की सांठ-गांठ कर राशि की निकासी की पोल तब खुली जब जाली दस्तावेजों के सहारे मुआवजे की राशि हड़पने के लिए कई फर्जी रैयतों का खाता खोलने से स्टेट बैंक ने इंकार कर दिया। बैंक के इस निर्णय से हेरा-फेरी में शामिल अधिकारियों के होश उड़ गए। तत्काल प्रभाव से उपायुक्त, लातेहार की अनुमति लेते हुए **अनुमण्डल पदाधिकारी, श्री जयप्रकाश झा द्वारा नियम विरुद्ध** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक्सीस बैंक में मुआवजे की 20 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी गई। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री को मेरे द्वारा पत्राचार के उपरांत आरोपों की जांच की जवाबदेही उपायुक्त, लातेहार को दी गई है, जो अत्यंत ही संशय का विषय है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में इस पूरे काण्ड की जाँच राज्य के उच्चस्तरीय समिति द्वारा कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
04-	श्री योगेश्वर महतो स0वि0स0	गिरिडीह जिला के तिसरी प्रखण्डान्तर्गत ग्राम- चन्दौरी में देवी मंडल से घाराजोर भाया चरकीपहरी बड़कीटांड़ तक सह-पथ निर्माण (2.200 K.M.) की ई निविदा संख्या-86/RI/2018-19RDD (RWA) GIRIDIH दिनांक-08.01.2019 निकाली गयी है, जो उक्त पथ निर्माण विभाग में प्रभावित रैयतों को बिना सूचित दिये तथा स्थल निरीक्षण किये बिना ही किया गया है। वर्णित प्रभावित होने वाले रैयत इसके अलावे उक्त ग्राम में प्रस्तावित बाईपास पथ में भी अपना जमीन दिये है, ऐसी स्थिति में पुनः दूसरे स्थान पर इनकी जमीन अधिग्रहीत करने से ये लोग भूमिहीन हो जायेंगे, ये सभी रैयतों का जीविकोपार्जन के लिए जमीन (खेती) पर ही आश्रित है। अतः सदन के माध्यम से उक्त निविदा पर अविलम्ब रोक लगाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	ग्रामीण विकास
05-	श्री राज कुमार यादव स0वि0स0 श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता स0वि0स श्री सुखदेव भगत स0वि0स0	राज्य में पुलिस विभाग में होमगार्ड कार्यरत हैं जो अपनी सेवा जान जोखिम में डालकर इन्हें जहाँ ड्यूटी पर भेजा जाता है वहाँ अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते है, लेकिन सबसे दुःखद बात यह है कि आज भी राज्य सरकार इन्हें दोयम दर्जे के पुलिस सेवा के कर्मी मानते हैं। इन्हें साल में छः महीने घर पर बैठना पड़ता है। बिहार राज्य में होमगार्ड के जवानों की सेवा के लिए नियमावली बनाकर उनलोगों को समुचित वेतन दी जा रही है। अन्य राज्यों में भी होमगार्ड के जवानों को समुचित वेतन दिया जा रहा है। पर झारखण्ड राज्य में सेवा दे रहे होमगार्ड के जवानों की उपेक्षा की जा रही है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		अतः हम सरकार से बिहार व अन्य राज्यों के तर्ज पर नियमावली बनाकर समुचित वेतन सालों भर ड्यूटी देने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	

राँची,
दिनांक- 30 जनवरी, 2019 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2019-....1014..../वि0 स0, राँची, दिनांक- 29/01/19

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1/19

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2019-....1014..../वि0 स0, राँची, दिनांक-29/01/19

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

29/1/19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

29.01.19

सुभाष/-